न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 147/2025 G.C.M.S. No. 2025/652 दर्ज दिनांक : 18.09.2025

अपीलार्थिगणः

1. कालूराम पुत्र केसा
2. पुखराज पुत्र केसा
3. भूराराम पुत्र केसा, जातियान पुरोहित, निवासीगण दासपा, तहसील भीनमाल व जिला जालोर।
4. झमूदेवी पुत्री केसा पत्नि जबरसिंह, जाति पुरोहित, निवासी हाल जुजांणी, तहसील भीनमाल, हाल चैन्नई
5. रतन पुत्री केसा पत्नि ओटाराम, जाति पुरोहित, निवासी भीनमाल, तहसील भीनमाल व जिला जालोर।
6. सुबटीदेवी पुत्री केसा पत्नि सांवलाराम, जाति पुरोहित, निवासी कोडी, तहसील भीनमाल व जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. दीपिकादेवी पत्नि मलाराम
2. पाताराम पुत्र समरथा, जातियान पुरोहित, निवासीगण दासपा, तहसील भीनमाल व जिला जालोर।
3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार भीनमाल, जिला जालोर।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 23/2025 बअनवान दीपिकादेवी बनाम कालूराम वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 12.09.2025

पैरोकार–

1. श्री सुरेन्द्र कुमार दवे, श्री कार्तिक दवे, श्री रेणुका गहलोत, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. रेस्पोंडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 30.03.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 23/2025 बअनवान दीपिकादेवी बनाम कालूराम वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 12.09.2025 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने खातेदारी भूमि एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया व प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी भूमि सरहद मौजा दासपा के खसरा नम्बर–415 रकबा 0.36 हैक्टेयर स्थित है। उक्त आराजी मौजा दासपा में वादीया व प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त व शामलाती दर्ज है,

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

जिसमें वादीया का 1/4 प्रतिवादी संख्या–1 से 7 प्रत्येक का 1/14 यानि 1/2 प्रतिवादी संख्या–8 का 1/4 हिस्सा दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। रेकर्ड में वादग्रस्त आराजी सामलाती हैं, मगर वादीया अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करती हैं। उपरोक्त भूमि का विधिवत रूप से आज दिन तक विधिक बंटवाडा नहीं हुआ है। वादग्रस्त आराजी सामलाती भूमि होने से काश्त करने व उपयोग–उपभोग करने में भयंकर रूप से परेशानी रहती हैं। हर समय आपसी विवाद होता रहता है तथा वादीया अपने हिस्से की भूमि में बंटवाडा नहीं होने से अच्छी तरह से उन्नत उपजाउ भी नहीं बना सकते है तथा बैंक आदि से ऋण को लेने में भी सामलाती भूमि होने से प्रायः परेशानी रहती हैं। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री में खर्चे आदि का कॉलम खाली हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि रेस्पोंडेन्ट संख्या–01 को फायदा पहुंचाने की नियत से जल्द बाजी में डिक्री जारी की गई हैं जो निरस्त किये जाने योग्य है तथा विभाजन प्रस्ताव जो अलग–अलग रंगो में न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मांगा गया था, वह प्रस्ताव मय नक्शा पत्रावली में उपलब्ध है। उस प्रस्ताव की मौका रिपोर्ट में दीपिका कुमारी पत्नी मलाराम वादी व भूराराम पुत्र केसाराम पुरोहित प्रतिवादी के नाम अवश्य लिखे हैं, परन्तु भूराराम पुत्र केसाराम न तो विभाजन प्रस्ताव/मौका रिपोर्ट के वक्त उपस्थित ही नहीं था उसकी गैर मौजूदगी में तैयार किया है, मौका विभाजन प्रस्ताव में दीपिका देवी दो जगह हस्ताक्षर है, अन्य कहीं हस्ताक्षर नहीं हैं, न ही भूराराम पुत्र केसाराम के हस्ताक्षर है एवं नक्शा में भी अपीलान्ट सभी व रेस्पोंडेन्ट संख्या–02 के किसी पर भी हस्ताक्षर नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 04.06.2025 को नोटिस जारी किये उक्त नोटिसों पर यह लिखकर आया कि आसामी बाहर राज्य में रहते हैं तथा सुबटीदेवी रानीवाडा निवास करती हैं, घर बन्द है, उसके बाद दिनांक 12.06.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस भेजे जाते हैं, उन रजिस्टर्ड नोटिस पर 16.06.2025 को डाक कर्मचारियों से यह लिखवाकर यह लेने से इन्कार लिखवा दिया। जबकि अपीलान्ट संख्या–01 व 02 व 04 चैन्नई में व्यवसाय करते हैं एवं पिछले 3 महिनों से मारवाडा यानि अपने गांव दासपा आये ही नहीं तथा अपीलान्ट संख्या–03 गांव दासपा में ही रहता है व काश्त करता हैं। परन्तु उसको कोई नोटिस तामिल नहीं करवाया मात्र लेने से इन्कार लिखवा दिया जबकि उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी या मौतबिरान के हस्ताक्षर नहीं करवाये तथा अपीलान्ट संख्या–05 जो भीनमाल रहती हैं। उसको भीनमाल में कोई नोटिस नहीं भेजा गया तथा अपीलान्ट संख्या–6 गांव कोडी में निवास करती है उसको कोडी में कोई नोटिस नहीं भेजा गया मात्र रेस्पोंडेन्ट संख्या–01 ने डाक कर्मचारियों से मिलावट कर आसामी ने लेने से इन्कार करना लिखवा दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या–02 पाताराम का रजिस्टर्ड डाक से जो नोटिस अधिनस्थ न्यायालय को प्राप्त हुआ उस पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

घर बन्द का अंकन है जिससे यह स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय में लम्बित वाद के किसी भी प्रतिवादी को प्रोपर तामिल नहीं हुआ है। यह मान भी लिया जाये कि रजिस्टर्ड एडी को लेने से इन्कार किया है तो रेस्पोंडेन्ट संख्या–02 पाताराम का जो रजिस्टर्ड डाक का नोटिस है वो घर बन्द लिखते हुऐ रिटर्न हुए हैं उसको सुनवाई का उचित अवसर देना चाहिए तथा अपीलान्ट को भी सुनवाई का उचित अवसर देना चाहिए था जब सम्मन पर दिनांक 04.06.2025 को भेजे गये उसमें आसामी का बाहर राज्य में रहना बताया गया है एवं मात्र 8–9 दिन बाद रजिस्टर्ड नोटिस पर लेने से इन्कार का अंकन को मानते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने एकतरफा कार्यवाही कर निर्णय जैर अपील पारित किया है, अन्तिम डिक्री बनाते वक्त भी पक्षकारान को नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु उक्त प्रकरण मे अन्तिम डिक्री बनाते वक्त अपीलान्ट से किसी प्रकार की आपत्ति नहीं मांगी न ही उनको नोटिस जारी किये हैं। जिससे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व अंतिम डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिया रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.09.2025 को निर्णित कर अंतिम डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट प्रतिवादीगण द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादिया रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा विभाजन बाबत प्रस्तुत वादपत्र में दिनांक 13.08.2025 को प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए वादग्रस्त आराजीयात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार से तलब किया गया। उक्त प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत प्रथम अपील संख्या 147ए/2025 बअनवान कालूराम वगैरह बनाम दीपिकादेवी वगैरह में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.03.2026 द्वारा अपील स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री अपास्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जा चुका है तथा विभाजन प्रस्ताव एवं अंतिम डिक्री वस्तुतः सारवान रूप से प्राथमिक डिक्री पर आधारित व आश्रित होती हैं। ऐसी स्थिति में प्राथमिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

डिक्री अपास्त होने से इसके पश्चात की समस्त कार्यवाही एवं अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री स्वतः अपास्त हो चुकी हैं।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि संबंधित तहसीलदार द्वारा प्रकरण में विभाज प्रस्ताव तैयार करते समय न तो अपीलांट प्रतिवादीगण को मौके पर उपस्थिति बाबत सूचित किया गया एवं न ही इस संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर है। बल्कि केवल वादिया की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया तथा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के दौरान तहसीलदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20 व 21 की अनुपालना नहीं की हैं। अतः ऐसी स्थिति में त्रुटिपूर्ण व विधिविरूद्ध विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पुष्टि योग्य नहीं हैं।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट बखूबी साबित होने व अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसंगत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 23/2025 बअनवान दीपिकादेवी बनाम कालूराम वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 12.09.2025 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण में विधिवत प्राथमिक डिक्री पारित करने के उपरांत इसकी अनुपालना में संबंधित तहसीलदार द्वारा संबंधित सभी सहखातेदारान को विधिवत सूचित करते हुए स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 20 व 21 विहित आज्ञापक विधिक प्रावधानों एवं इसकी अनुपालना में विभाजन के प्रकरणों में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की अनुपालना करवाते हुए विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए वादपत्र विधि अनुरूप पुनः निर्णित व डिक्री करें। अपीलांट को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 11.05.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर भीनमाल में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **30.03.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली